	राजस्थान राज–पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	चैत्र 11, शुक्रवार, शाके 1933–अप्रेल 1, 2011 *Chaitra 11, Friday, Saka 1933–April 1, 2011*	

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT

(Group-II)

NOTIFICATION

Jaipur, April 1, 2011

No. F. 2(11) Vidhi/2/2011.–The Following Act of the Rajasthan State Legislature which received the assent of the Governor on the 31st day of March, 2011 is hereby published for general information:-

THE RAJASTHAN TENANCY (AMENDMENT) ACT, 2011

(Act No. 13 of 2011)

(Received the assent of the Governor on the 31st day of March 2011)

An

Act

further to amend the Rajasthan Tenancy Act, 1955.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-second Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.– (1) This Act may be called the Rajasthan Tenancy (Amendment) Act, 2011.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of section 45, Rajasthan Act No. 3 of 1955.– In section 45 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955 (Act No. 3 of 1955),-

(i) in sub-section (1), for the existing punctuation mark ".", appearing at the end, the punctuation mark ":" shall be substituted and after sub-section (1), so amended, the following proviso shall be added, namely:-

"Provided that for the purpose of agricultural operations in connection with such agro-processing and agri-business enterprises as may be approved in the prescribed manner by the State Government or any authority appointed by it, a holder of Khudkasht or a land owner may let or a Khatedar tenant may sub-let whole or any part of his holding for a term of fifteen years and may extend such lease or sub-lease for a further period of fifteen years.";

(ii) in sub-section (2), after the existing expression "has once been granted" and before the existing expression "for any term", the expression "or extended" shall be inserted.

सत्य देव टाक,
Principal Secretary to the Government.

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप–2)

अधिसूचना

जयपुर, अप्रेल 1, 2011

संख्या प. 2 (11)/विधि/2/2011.–राजस्थान राजभाषा अधिनियम 1956 (1956 का राजस्थान अधिनियम सं. 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में ''दी राजस्थान टेनेन्सी(अमेण्डमेन्ट) एक्ट, 2011 (एक्ट नं. 13 ऑफ 2011)'' का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता हैः–

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

राजस्थान अभिधृति (संशोधन) अधिनियम, 2011

(2011 का अधिनियम संख्यांक 13)

(राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 31 मार्च, 2011 को प्राप्त हुई)

राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 को और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता हैः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-(1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान अभिधृति (संशोधन) अधिनियम, 2011 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. 1955 के राजस्थान अधिनियम सं. 3 की धारा 45 का संशोधन.-राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम सं. 3) की धारा 45 में,-

(i) उप-धारा (1) में, अन्त में आये विद्यमान विराम चिह्न "।" के स्थान पर विराम चिह्न ":" प्रतिस्थापित किया जायेगा और इस प्रकार संशोधित उप-धारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"परन्तु ऐसे कृषि-प्रसंस्करण और कृषि-कारबार उद्यम, जो राज्य सरकार या इसके द्वारा नियुक्त किसी प्राधिकारी

द्वारा विहित रीति में अनुमोदित किये जायें, से संबंधित कृषि संक्रियाओं के प्रयोजन के लिए, खुदकाश्त का धारक या भू-स्वामी पट्टे पर या खातेदार अभिधारी उप-पट्टे पर, अपनी संपूर्ण जोत या उसके किसी भाग को पन्द्रह वर्ष की अवधि के लिए दे सकेगा और ऐसे पट्टे या उप-पट्टे को पन्द्रह वर्ष की और अवधि के लिए बढ़ा सकेगा।'';

(ii) उप-धारा (2) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "प्रदत्त कर दिया गया है" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "तो उसी भूमि के लिए" के पूर्व अभिव्यक्ति "या बढ़ा दिया गया है" अंत:स्थापित की जायेगी।

सत्य देव टाक,
प्रमुख शासन सचिव।

4
राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।